



फ. सं 11-RPS054/4/2026-RPS

दिनांक 01.10.2026

विज्ञापन संख्या 05/2025

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सीधी भर्ती के माध्यम से उपायुक्त के पद को भरना

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय, सीधी भर्ती के माध्यम से उपायुक्त पद, वेतन स्तर -12 (₹ 78,800-2,09,200/-) एवं केविसं के लिए लागू भत्ते, को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं:-

पद	सामान्य	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	चलन-सम्बन्धी विकलांगता (ओआइ)	दृष्टि-बाधित (वीआइ)	श्रवण बाधित (एचआइ)	अन्य (ओटीएच)
उपायुक्त (वर्ग -ए के समकक्ष)	0	0	01*	01*	0	02	0	01*	0	0

* बैकलॉग रिक्ति

नोट:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के प्रावधानों तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) की अधिसूचना संख्या 38-16/2020-DD-III दिनांक 04 जनवरी 2021 एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणियाँ नीचे दी गई हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के संदर्भ में निर्धारित कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निम्नलिखित सूची का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें।

कार्यात्मक आवश्यकता (Functional Requirement)	(उपयुक्त श्रेणी) Suitable Category
S, ST, W, BN, RW, SE, H, C, MF	a) B, LV
	b) D, HH
	c) OA, BA, OL, BL, OAL, LC, Dw, AAV, Mdy, SD, SI
	d) MI
	e) MD involving (a) to (d) above

कार्यात्मक आवश्यकता के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

S = बैठना (Sitting), ST = खड़ा होना (Standing), W = चलना (Walking), BN = झुकना (Bending), RW = पढ़ना एवं लिखना (Reading & Writing), SE = देखना (Seeing), H = सुनना (Hearing), C = संचार (Communication), MF=उँगलियों द्वारा हेरफेर (Manipulation with Fingers)

उपयुक्त श्रेणी के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

B = दृष्टिहीन (Blind), LV = अल्पदृष्टि (Low Vision), D = बधिर (Deaf), HH = कम सुनने वाला (Hard of Hearing), OA = एक भुजा (One Arm), OL = एक पैर (One Leg), BA = दोनों भुजाएँ (Both Arms), BL = दोनों पैर (Both Legs), OAL = एक भुजा एवं एक पैर (One Arm and One Leg), LC = कुष्ठ रोग से उपचारित (Leprosy Cured), Dw = बौनापन (Dwarfism), AAV = एसिड अटैक पीड़ित (Acid Attack Victims), MDy = मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy), SD = मेरुदंड विकृति (Spinal Deformity), SI = मेरुदंड चोट (Spinal Injury), MI = मानसिक बीमारी (Mental Illness), MD = बहु-दिव्यांगता (Multiple Disabilities)

पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ :

अनिवार्य :

- i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।
- ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ बी.एड.
अथवा
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.
- iii) केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन स्तर -12 (₹ 78,800-2,09,200/-) में शिक्षकों और प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्देशन और/ या शिक्षा में अनुसंधान में अनुभव के साथ शैक्षणिक प्रबंधन में शिक्षाविद के क्षेत्र में सहायक आयुक्त के पद पर नियमित आधार पर कम से कम 03 वर्षों से कार्यरत होना
अथवा
केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन स्तर -12 (₹ 78,800-2,09,200/-) में शिक्षकों और प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्देशन और/ या शिक्षा में अनुसंधान में अनुभव के साथ शैक्षणिक प्रबंधन में शिक्षाविद के क्षेत्र में सहायक आयुक्त के समकक्ष पद पर नियमित आधार पर कम से कम 03 वर्षों से कार्यरत होना
- iv) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान

वांछनीय:

- i) अंग्रेजी और हिंदी/ भारतीय भाषा का कार्यसाधक ज्ञान

आयु सीमा : 50 वर्ष से अधिक नहीं। केविसं के कर्मचारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू होगी।

1. आवेदनों की जांच की जाएगी तथा पात्र उम्मीदवारों को दिल्ली में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता की जांच कर लें। यदि उम्मीदवार किसी भी स्तर पर अयोग्य पाया जाता है तो शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इस संबंध में केविसं का निर्णय अंतिम होगा।
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को किसी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. चयनित अधिकारी को केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय/पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/ शिक्षा और प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों में नियुक्त किया जाएगा।
4. पात्र उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में **उचित माध्यम से ही** जिसके साथ आवेदन शुल्क (₹ 2000/-) तथा प्रोसेसिंग शुल्क (₹500/-) के रूप में ₹2500/- (रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट, जो **'केन्द्रीय विद्यालय संगठन'** के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगा, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, हालांकि इन्हें ₹500/- प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा) **अपर आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016** को दिनांक **02.11.2026** तक प्राप्त हो जाये। अग्रिम प्रति अस्वीकार्य होगी।

हस्ताक्षरित/-
अपर आयुक्त (प्रशासन)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सीधी भर्ती के माध्यम से उपायुक्त के पद के लिए आवेदन पत्र

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. जन्म तिथि(ईसाई युग)(दिनांक/माह/वर्ष) :
3. श्रेणी(सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग(पीडबल्यूबीडी)/भूतपूर्व सैनिक) :
4. पत्राचार के लिए पता(स्पष्ट शब्दों में) :
5. ई.मेल पता :
6. उम्मीदवार का मोबाइल नंबर :
7. कार्यालय का दूरभाष नंबर :
8. शैक्षणिक योग्यता(+2 चरण से आरंभ) :

पासपोर्ट
साइज़ का
नवीनतम
रंगीन फ़ोटो
चिपकाया जाए

क्र.सं.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल प्रतिशत	बोर्ड/विश्वविद्यालय

9. नियमित आधार पर धारित पदों पर कालानुक्रमिक क्रम में अनुभव/रोजगार के विवरण (वर्तमान से अवरोही क्रम में) :

क्र.सं.	कार्यालय/संस्थान/संगठन का नाम	धारित पद	से	तक	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर एवं मूल वेतन	शिक्षकों और प्रशासकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्देशन और/या शिक्षा में अनुसंधान का अनुभव	कार्यों की प्रकृति

10. वर्तमान नियुक्ति की प्रकृति:
11. क्या वर्तमान पद संवर्ग या असंवर्ग पद है :
12. क्या वर्तमान नियुक्ति केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठन के अधीन है :
13. वर्तमान नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर होने पर, उसका विवरण
14. किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विवरण :
15. यदि उम्मीदवार पूर्व संशोधित वेतनमान आहरित कर रहा है तो वह वेतनमान लेने की तिथि :

16. उम्मीदवार की पद के उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो (300 शब्दों से अधिक नहीं) :

17. डिमांड ड्राफ्ट का विवरण : डीडी संख्या.....
दिनांक.....

बैंक एवं शाखा का

नाम.....

मैं इस बात की पुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए सभी कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही तथा पूर्ण हैं। किसी भी स्तर पर किसी भी सामग्री/जानकारी या उसके किसी भाग के झूठे/छेड़छाड़ या मनगढ़ंत या छिपाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति स्वतः रद्द/समाप्त हो जाएगी।

दिनांक :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान :

संलग्नक :

1. डिमांड ड्राफ्ट
2. शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ
3. अनुभव एवं प्रशिक्षण के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ
4. कोई अन्य सहायक दस्तावेज़, जैसा लागू हो

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री..... के संबंध में उपरोक्त विवरणों की जांच कर ली गई है और सही पाए गए हैं। अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है एवं अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

दिनांक :

स्थान :

कार्यालय प्रमुख का नाम एवं हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर सहित

उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश :-

1. केविसं में भर्ती नियमों की पात्रता शर्तों के अनुसार मूल पद पर वास्तविक वेतन के साथ नियमित सेवा करने वाले अधिकारी उपायुक्त के लिए आवेदन करने के पात्र है । प्रतिनियुक्ति /एसीपी/ एमएसीपी/तदर्थ के तहत वांछित वेतन स्तर पाने वाले अधिकारी पात्र नहीं है ।
2. अंधूरे आवेदनों एवं इस विज्ञापन में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
3. उम्मीदवार को आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
4. केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को इस संबंध में संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार पीडबल्यूबीडी (PwBD) श्रेणी में आरक्षित पदों के लिए किसी भी आरक्षण के पात्र नहीं होंगे।
6. उम्मीदवारों को प्रमाणित प्रतियां/प्रशंसा-पत्र जमा करते समय ऐसा कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो गलत, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत हो तथा न ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई जाए।
7. उम्मीदवार की पात्रता, साक्षात्कार, चयन और भर्ती से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में केविसं का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।
8. लघुसूची किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय आयु, योग्यता, अनुभव, जाति आदि से संबंधित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। साक्षात्कार के समय इन दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अयोग्य पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता माना जाएगा।
10. यदि अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करणों में व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
11. केविसं अपने विवेक पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में भर्ती को आंशिक /पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो अंतिम होगा और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।
12. इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद केवल दिल्ली में अपने अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के अधीन होगा।